

प्रभु,

शशि,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिषद के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी, आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश। शशि/एड - सत्येंद्र कुमार पांडे।
शशि परिसर 5923333333, एड, एड।

अध्यक्ष/शशि

पत्रांक-शशि/परिषद/2022/5845
लखनऊ:दिनांक- 14-7-2022
विषय:- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान की अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक कार्यवाही कावन्सिल ऑफ़ इंजिनियर्स (पी0सी0आई0) के पत्रांक 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as) /11621-23 दिनांक 31-5-2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।
सूचना है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पी0सी0आई0, नई दिल्ली से प्रस्ताव संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदन हेतु संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।
मो उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 एवं पी0सी0आई0, नई दिल्ली के वक्तव्य संख्या 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as) /11621-23 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी सख्ती के आधार पर संस्था का सहमति/अनापत्ति पत्र मा10 उच्चतम न्यायालय में योजित एफ0एल0पी0 नं0 406/2022 में परिचित अंतिम निर्णय के प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मेसी कावन्सिल ऑफ़ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद द्वारा आदेश सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की शर्तक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकान्तक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही बाध्य पत्र में दी गई जानकारी तथा पी0सी0आई0 एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थानीय निर्देशन एवं आभिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर संचालित किया जायेगा। आभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया होने तथा स्थानीय निर्देशन में मानकों/शर्तों के पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति लकाल प्रभाव से निरस्त की जाएगी।

भवदीय,

(सुनील कुमार खानकर)
शशि

पत्रांक-शशि/परिषद/2022/5846-47

दिनांक- 14-7-2022

प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0ख0, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मेसी कावन्सिल ऑफ़ इंजिनियर्स, कन्वेंशन कार्पोरेशन लिमिटेड, टैपल लेन, कोटला रोड, एतान-ए-गाहिरा मार्ग, नई दिल्ली- 110 002

(सुनील कुमार खानकर)
शशि